

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चाण्डिल ।

अनुसूची फार्म सं०-662

(देखे अभिलेख हस्तांक 1941 का नियम 129)

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

अनुमण्डल- चाण्डिल

अंचल- चाण्डिल

केस का प्रकार- जमाबंदी दर्ज करने के संबंध में।

अभिलेख सं०- 37 / 25-26

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																												
1	2	3																												
15.05.2015	अभिलेख का संधारण राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री मनोज कुमार महतो के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक माखन लाल महतो के द्वारा मौजा- बानसा, खाता सं०- 128, प्लॉट सं०- 629, 623 एवं 588 अन्तर्गत भूमि कम्प्यूटराईजेशन के दौरान निम्न आवेदित भूमि का छुटे हुए जमाबंदी की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में जाँच किया गया। जाँचोपरान्त प्रतिवेदित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th><th>मौजा/थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा (ए० में)</th><th>पंजी II रैयत का नाम</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>बानसा / 128</td><td>128</td><td>629</td><td>0.05</td><td rowspan="3">माखन लाल महतो, पिता- स्व० सावना महतो</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>623</td><td>0.08</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>588</td><td>0.10</td></tr> </tbody> </table> उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी II में संधारित नहीं पाया गया। कार्यालय-में उपलब्ध नामांतरण अभिलेख से मिलान करने पर पाया गया कि मौजा- बानसा, थाना सं०- 128, खाता सं०- 128, प्लॉट सं०- 629, रकबा- 0.05 ए०, प्लॉट सं०- 623, रकबा- 0.08 ए० एवं प्लॉट सं०- 588, रकबा- 0.10 ए० भूमि माखन लाल महतो, पिता- स्व० सावना महतो के नाम पर पंजी II में दर्ज है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, नामांतरण शुद्धि पत्र की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन पंजी II में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित <i>(हस्ताक्षर)</i> अंचल अधिकारी चाण्डिल। <i>(हस्ताक्षर)</i> अंचल अधिकारी, चाण्डिल।	क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम	1	2	3	4	5	6	1	बानसा / 128	128	629	0.05	माखन लाल महतो, पिता- स्व० सावना महतो				623	0.08				588	0.10	
क्र०	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)	पंजी II रैयत का नाम																									
1	2	3	4	5	6																									
1	बानसा / 128	128	629	0.05	माखन लाल महतो, पिता- स्व० सावना महतो																									
			623	0.08																										
			588	0.10																										